राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक– 16.07.2018

क्रमांकः–एफ.4 (इ)एस–239/1992/अलेसे–III/2073

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.04.2018 द्वारा श्री शिव राम सिंह चौधरी (लिंक नम्बर 5670), कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण जयपुर प्राधिकरण, जयपुर से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चौधरी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री चौधरी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.07.2018 मध्याह्न **पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री चौधरी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jacct.dta@rajasthan.gov.in/दूरभाष संख्या 0141–2744861 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री चौधरी को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित **अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक– 16.07.2018

क्रमांकः–एफ.4 (इ)एस–239/1992/अलेसे–III/2073

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. श्री शिव राम सिंह चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/ निजि /रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–III)